

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XV, Seventh Session, 2016/1937 (Saka)
No.6, Tuesday, March1, 2016/Phalguna 11, 1937 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
 ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.61 to 63 and 71	12-33
 WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.64 to 70 and 72 to 80	34-137
Unstarred Question Nos.691 to 920	138-740

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	744-747
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	748
CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2016	749
SUBMISSION BY MEMBER	
Re : Reported disclosure by ED and IT on investments by a firm owned by the son of a former Finance Minister	753-756
MATTERS UNDER RULE 377	757-776
(i) Need to set-up an Akashvani Kendra at Azamgarh, Uttar Pradesh	
Shrimati Neelam Sonker	757
(ii) Need to expedite setting up of Passport Seva Kendra at Udaipur, Rajasthan	
Shri Arjun Lal Meena	758
(iii) Need to take welfare measures for cotton farmers in the country.	
Dr. Manoj Rajoria	758
(iv) Need to conduct an inquiry into alleged misappropriation of funds under Mid-day meal scheme in Bihar.	
Shrimati Rama Devi	759
(v) Need to set up Kendriya Vidyalayas at Vishnah, Naushera and Poonch in Jammu and Kashmir	
Shri Jugal Kishore	760
(vi) Need to provide the facility of helipad in East Delhi parliamentary constituency	
Shri Maheish Girri	761

- (vii) Need to set up a hospital with all the modern healthcare facilities in Kairana parliamentary constituency, Uttar Pradesh.
- Shri Hukum Singh
- 762
- (viii) Need to include Makrana city in Rajasthan under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) Scheme.
- Shri C.R. Chaudhary
- 763
- (ix) Need to reduce the rate of mobile SMS sent in Hindi language.
- Shri P.P. Chaudhary
- 764
- (x) Need to ensure mandatory 27% reservation in jobs and educational institutions to people belonging to Other Backward Classes in the country particularly in Maharashtra
- Shri Nana Patole
- 765
- (xi) Need to permit picking of stones from Pandai river in Valmiki Nagar parliamentary constituency, Bihar
- Shri Satish Chandra Dubey
- 766
- (xii) Need to provide clean drinking water to residents of Haridwar in Uttarakhand
- Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank'
- 767
- (xiii) Need to improve the condition of post office buildings as well as appointment of adequate postal staff in Bardoli parliamentary constituency, Gujarat.
- Shri Prabhubhai Nagarbhai Vasava
- 767

- (xiv) Need to provide a special financial package to Kerala for providing basic amenities to pilgrims visting Sabarimala temple in the State.
- Shri Kodikunnil Suresh
- 768
- (xv) Need to set up the proposed National Institute of Medicinal Plants in Thiruvananthapuram in Kerala.
- Dr. Shashi Tharoor
- 769
- (xvi) Need to release the backlog amount of Central Assistance under post-matric scholarship scheme to Government of Odisha.
- Shri Nagendra Kumar Pradhan
- 770
- (xvii) Need to review the inclusion of 'Sindh' in the National Anthem of India and make suitable amendments
- Shri Arvind Sawant
- 771
- (xviii) Need to procure maize at MSP from the farmers of Telangana
- Shri Ch. Malla Reddy
- 771
- (xix) Need to fix tariff in Indian Rupees for Indian citizens who use the services of luxury train Maharajas' Express
- Shri A.P. Jithender Reddy
- 772
- (xx) Need to set up a steel plant in YSR district of Andhra Pradesh
- Shri Y.S. Avinash Reddy
- 773-774

- (xxi) Need to fix the grant amount of Indira Awas Yojana according to the construction cost of a region
Shri P.K. Biju 774-775
- (xxii) Need to ban the manufacturing and sale of flavoured betel nut in the country
Shrimati Supriya Sule 775
- (xxiii) Need to set up BSNL mobile towers in Naxal affected districts of Bihar
Shri Jai Prakash Narayan Yadav 776
- (xxiv) Need to run Mahuva-Surat Express on daily basis and extend its services upto Mumbai
Shri Naranbhai Kachhadia 776

ANNEXURE – I

- Member-wise Index to Starred Questions 778
- Member-wise Index to Unstarred Questions 779-784

ANNEXURE – II

- Ministry-wise Index to Starred Questions 785
- Ministry-wise Index to Unstarred Questions 786

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, March 1, 2016/Phalguna 11, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

... (*Interruptions*)

(At this stage, Shri P. Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Question Hour.

11.01 hours**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

HON. SPEAKER : Q. No.61, Shri Asaduddin Owaisi.

(Q. 61)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: The Budget which was presented yesterday has decreased Rs. 5,000 crore in the subsidy bill of Food Security Act. ...
(*Interruptions*)

I want to know specifically from the Minister why there is a pre-condition for the States before they can implement this National Food Security Act. The Act does not talk about it. The Act only says that the States should endeavour to modernise through computerisation. ... (*Interruptions*)

I want to know specifically from the Minister why the maternal health scheme which aims mostly at anaemic pregnant women, which seeks to give Rs. 6,000 for all the pregnant women for medical expenses and nutritious food is not being launched. ... (*Interruptions*) I want to know this from the Minister. ...
(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1115 hours

11.03 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past
Eleven of the Clock.*

11.15 hours

*The Lok Sabha reassembled at Fifteen Minutes past
Eleven of the Clock.*

(Hon. Speaker in the Chair)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS...Contd.

... (Interruptions)

11.15 ¼ hours

*(At this stage, Shri P.R. Sundaram and some other hon. Members came
and stood on the floor near the Table.)*

... (Interruptions)

(Q. 61 – contd.)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: I would like to ask the hon. Minister - he has not talked about - why the Maternal Health Scheme has not been launched Why is it that his Ministry has issued a Notified PDS Order which restricts the eligibility/entitlement to only citizens? ... (Interruptions) This is the violation of Article 21 and the Food Security Act which talks about women and children. As it is there are no Canadians or Kuwaitis who are standing in line in Delhi to get the PDS Card. ... (Interruptions) Why is it that the legacy of Shri Vajpayee has been destroyed by this Government wherein the Antyodaya Awas Yojana is being phased out and the States are instructed not to add any new households? Why is it that they are not accepting the request made by the Telangana Government to issue more food grains to the drought affected regions? . . . (Interruptions)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष महोदया, देश के 53 जिलों में पहले और दूसरे बच्चे के जन्म पर माँ को छह हज़ार रुपये प्रति जन्म पर मिलता है। ... (व्यवधान) यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। ... (व्यवधान) उनके द्वारा पूरे देश में इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र ही कैबिनेट के निर्णय के लिए भेजा जा रहा है। ... (व्यवधान) 19 वर्ष की आयु होने पर बच्चा जन्म लेने पर है, ... (व्यवधान) दूसरी शर्त है कि माँ

बच्चे को टीकारण का लाभ मिलेगा। ... (व्यवधान) खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू होने के पहले लाभ का दर चार हजार रुपये था, अब छह हजार रुपये हो गया। ... (व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: My specific question is about the PDS Order that it will only be issued to the citizens. This is in contravention of Article 21 of the Constitution. ... (*Interruptions*) You are violating by this Order the National Food Security Act and thereby it is causing a huge problem to homeless migrants, forest dwellers, single woman, denotified tribes. You are violating the National Food Security Act. So, can the Minister give a specific answer whether the Government would amend the PDS Order which it Government has issued last year so that all the people, the poorest of the poor can avail of this facility and you will not phase out Antyodaya Awas Yojana which is supposed to be the legacy of Shri Vajpayee? ... (*Interruptions*)

श्री रामविलास पासवान : महोदया, यह कानून पूर्ववर्ती सरकार का बनाया हुआ है। ... (व्यवधान) इसके अनुसार अभी तक जो पहले 11 राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू था, अब वह बढ़ कर 28 राज्यों में हो गया है, जो अन्य राज्य हैं, तमिलनाडु को छोड़ कर बाकी राज्यों ने वादा किया है कि एक अप्रैल के पहले इसको पूरा कर देंगे और जो माननीय सदस्य ने कहा है, ... (व्यवधान) यह जो कानून के तहत है, ... (व्यवधान) वही कार्यवाही हम करते हैं। ... (व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि खाद्य सुरक्षा कानून आने के बाद राज्यों ने जिस तरह से एक रुपये किलो का गेहूँ, चावल और नमक देने का काम शुरू किया है, ... (व्यवधान) हमारे मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, ... (व्यवधान) लेकिन सभी को केंद्र सरकार की तरफ से आवंटन नहीं मिलता है। ... (व्यवधान) एक तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूरा का पूरा आवंटन दिया जाना चाहिए। ... (व्यवधान) दूसरा, अभी जो सूखा पड़ा है, सूखे के समय हमारे प्रदेश के सभी किसानों को, जिनकी फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है, ... (व्यवधान) सबको एक रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ टंजेश्र चावल देने की योजना बनाई है। ... (व्यवधान) क्या उसके लिए भी क्या अलग से केंद्र सरकार आवंटन देने का काम करेगी? ... (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : महोदया, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सरकार दो रूपए किलो गेहूँ, तीन रूपए किलो चावल देती है। ... (व्यवधान) यदि तीस रूपए चावल की कीमत है तो अट्ठाइस रूपए भारत

सरकार देती है।... (व्यवधान) कहीं दो रूपया राज्य सरकार देती है, एक रूपया कन्जूमर देता है।... (व्यवधान) कहीं कन्जूमर दो रूपया देता है, राज्य सरकार एक रूपया देती है।... (व्यवधान) इसलिए जो हमारा कानून है, वह भारत सरकार के द्वारा है।... (व्यवधान) दुर्भाग्य से बहुत सारी राज्य सरकारें क्लेम करती हैं कि हम इसमें सब पैसा दे रहे हैं।... (व्यवधान) ऐसी बात नहीं है।... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो कहा है यदि उसमें राज्य सरकार कहीं गरीब के हक में कुछ और देना है तो राज्य सरकार सब्सिडी दे सकती है।... (व्यवधान) उनको कम कीमत पर दे सकती है।... (व्यवधान) जहाँ तक पीडीएस का मामला है, पीडीएस हम सिर्फ चावल और गेहूँ का देते हैं।... (व्यवधान) जहाँ चीनी है, चीनी में साढ़े अट्ठारह रूपए हम सब्सिडी देते हैं।... (व्यवधान)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Madam Speaker, Andhra Pradesh is implementing the National Food Security Act very well after Shri N. Chandrababu Naidu came to power. ... (*Interruptions*) In fact, Andhra Pradesh is the first State in the country which is implementing the Public Distribution System using electronic modules like Aadhaar, E-PDS, distribution of commodities through e-POS and also end-to-end computerization of Public Distribution System. ... (*Interruptions*)

Madam, I would also like to bring to the notice of the hon. Minister that as per the National Food Security Act, the Government of India has sanctioned 1.86 lakh metric tonnes of rice to the State of Andhra Pradesh but the amount actually given to Andhra Pradesh is just 1.44 lakh metric tonnes and because of this, there is a gap of 1.2 crore units for which the State Government is having the burden of giving them rice. ... (*Interruptions*) Due to this, the State has a burden of Rs. 1,500 crore which the State spends from its own pocket. ... (*Interruptions*) Andhra Pradesh is implementing the National Food Security Act in such a big way. ... (*Interruptions*) But still what is the use of it? ... (*Interruptions*) The State Government has to bear the additional burden. ... (*Interruptions*)

So, I would like to know from the hon. Minister whether he would be catering the requirement of 44,000 metric tonnes of rice also at subsidized price to the State of Andhra Pradesh. ... (*Interruptions*)

श्री रामविलास पासवान : महोदया, जो फूड सुरक्षा कानून है, इस कानून के अन्तर्गत जिस राज्य को पहले जितना अनाज मिलता था, उससे कम नहीं मिलेगा।... (व्यवधान) पहले जितना भी अनाज मिलता था, तीन साल का एवरेज निकालकर के हम उसको उतना सामान देंगे।... (व्यवधान) जहाँ तक लाभार्थी का सवाल है, लाभार्थी कौन होगा, यह तय करना राज्य सरकार का काम है।... (व्यवधान) केन्द्र सरकार सिर्फ परसेन्टेज तय करती है।... (व्यवधान) राज्य सरकार लाभार्थी का नाम तय करती है।... (व्यवधान) यह बात सही है कि जो राज्य फूड सुरक्षा कानून के अन्तर्गत काम कर रहे हैं, उसमें आन्ध्र प्रदेश की सरकार भी अच्छा काम कर रही है।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you after the Question Hour.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I just do not understand what you want to say.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam Speaker, if they give a proper notice and if the Chair allows, we can discuss the issue later. ... (*Interruptions*) I only advise them to go to their seats and give a notice. ... (*Interruptions*) The Government has no problem in discussing the issue. ... (*Interruptions*) I advise them to please go back to their seats and raise the issue. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I just do not understand what you want to say.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I do not know the issue.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

(Q.62)

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: महोदया, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया है।... (व्यवधान) लेकिन मैं यह पूछना चाह रहा था कि अभी पिछले विगत दिनों में पंजाब में दो अटैक हुए हैं।... (व्यवधान) और दोनों अटैक एक ही जिले में हुए हैं।... (व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में आतंकवादी आसानी से कैसे घुस जाते हैं? क्या हमारे यहाँ पर कोई सैकेन्ड लाइन ऑफ डिफेंस की व्यवस्था है? यदि सैकेन्ड लाइन ऑफ डिफेंस की व्यवस्था है तो उसका क्या प्रावधान है और इस बारे में सरकार ने क्या किया है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री किरेन रिजीजू : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने दो आतंकवादी घटनाएँ जो पंजाब में हुई हैं, उसके बारे में पूछा है। पठानकोट और गुरदासपुर में जो अटैक हुआ है, उसकी विस्तृत रूप से हमारी सिक्यूरिटी एजेन्सीज़ ने जाँच की है और उसके लिए काफी सख्त कदम भी उठाए गए हैं जिनकी विस्तृत रूप से जानकारी मैं माननीय सदस्य को बाद में दे सकता हूँ। लेकिन कुछ कमियाँ जो पाई गई हैं, वह मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ।

पंजाब में लगभग 552 किलोमीटर लंबी सीमा है जिस पर फ़ैन्सिंग लगी हुई है। टोटल 34.82 किलोमीटर या करीब 35 किलोमीटर की रिवराइन है जहाँ फ़ैन्सिंग लगाना बहुत ही कठिन होता है। वहाँ पर बाढ़ आने से वह कुछ फ़ैन्सिंग को उखाड़कर ले जाती है। उसमें कुछ गैप है। यह 12 किलोमीटर का जो गैप है जिसमें फ़ैन्सिंग नहीं है, उस जगह से कुछ आतंकवादियों के अंदर आने की, घुसपैठ होने की घटनाएँ सामने आई हैं। उसको भी ठीक करने के लिए बी.एस.एफ. के माध्यम से गृह मंत्रालय ने उस जगह की खामियों को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं, जिसकी मैं अलग से जानकारी दे सकता हूँ।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: माननीय अध्यक्ष जी, 27.7.2015 को गुरदासपुर के दीनानगर में अटैक हुआ था और उसकी जाँच पंजाब पुलिस को सौंपी गई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस की जाँच में क्या प्रगति हुई है, क्या तथ्य सामने आए हैं? क्या मंत्री जी इस बारे में जानकारी देंगे?

श्री किरेन रिजीजू : पंजाब पुलिस ने जो दीनानगर ब्लास्ट की जाँच की है और उसमें पुख्ता सुबूत हाथ में आए हैं जिसमें अब तक तीन पाकिस्तानी बेस्ड टैररिस्ट्स जो रावी नदी को क्रॉस करके अंदर आए थे और घटना को अंजाम दिया था, उसकी जानकारी प्राप्त हुई है। उसके साथ-साथ जो आतंकवादी लोग डिवाइसेज़ इस्तेमाल करते हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, वैसी काफी चीज़ें वहाँ पाई गई हैं। उस दिशा में पंजाब पुलिस के साथ हमारी जो इंटैलिजेंस एजेन्सीज़ या सिक्यूरिटी एजेन्सीज़ हैं

सैन्ट्रल गवर्नमेंट की, वह लगातार संपर्क में हैं और पूर्ण रूप से इसमें क्या-क्या खामियाँ हैं, उसको भी दूर करने का इंतज़ाम कर रहे हैं।

श्रीमती संतोष अहलावत: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या देश के सभी सुरक्षा संस्थापनाओं की समयबद्ध ढंग से सुरक्षा संप्रेषण कराने के लिए हाल में ही एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है? क्या इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं? क्या सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमने सुदृढ़ व्यवस्था कर ली है और क्या गूगल सहित विभिन्न सर्च इंजनों द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों को मानचित्रों पर दर्शाए जाने पर रोक लगाए जाने का विचार है?

श्री किरन रिजिजू : अध्यक्ष महोदया, देश में विभिन्न प्रकार की आतंकवादी घटनाएँ जब होती हैं तो उसकी अच्छी तरह से गृह मंत्रालय में और विभिन्न प्रकार की जो एजेन्सीज़ हैं, उसमें चर्चा की जाती है। जो घटना अभी हाल में पंजाब के पठानकोट में हुई है, उसके बाद गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में बड़े स्तर पर बैठक हुई है और उसके बाद विभिन्न प्रकार के कदम उठाने का भी संकल्प लिया गया है। साथ ही साथ डिफ़ेंस मिनिस्ट्री ने लैफ़्टिनेन्ट जनरल फिलिप कैम्पोज़ के नेतृत्व में तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है जो हिन्दुस्तान के जितने भी सेंसिटिव इंस्टालेशन्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जो संस्थाएँ हैं, उन सबको किस तरह से बचाया जाए, सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए भी वे पूरी स्टडी करेंगे। इसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तीन महीने के अंदर वे अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: श्री अश्विनी कुमार जी, आपका भी वही प्रश्न है। Do you want to ask a supplementary, because you also have same question no. 71?

(Q. 71)

श्री अश्विनी कुमार : अध्यक्ष जी, बाकी सब तो माननीय सदस्य ने प्रश्न में पूछ लिया है। मैं सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

भारत सरकार पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों की कितनी ही बार सबूत मुहैया करा चुकी है। ... (व्यवधान) लेकिन, वह ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा, ... (व्यवधान) क्योंकि असली ताकत वहां की चुनी हुयी सरकार के हाथ में नहीं है। ... (व्यवधान) असली सत्ता फौज के हाथ में है। ... (व्यवधान) यह हम सभी जानते हैं। ... (व्यवधान) वह भारत से संबंध सुधारने के पक्ष में भी नहीं है। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी जांच टीम को पठानकोट भेजने का जो फैसला लिया है, ... (व्यवधान) क्या हमारी सरकार ने उस पर अंतिम निर्णय ले लिया है?

श्री किरन रिजिजू : अध्यक्ष महोदया जी, अभी हाल के पठानकोट की घटना के बाद जो सबूत हमारे हाथ में आये हैं, हमने उन्हें पाकिस्तान को सौंपा है। ... (व्यवधान) उसके बाद पाकिस्तान में यह केस रजिस्टर्ड हुआ है। ... (व्यवधान) यह पहली बार हुआ है कि हमारे देश द्वारा सबूत सौंपने पर उसने कार्रवाई की है। ... (व्यवधान) उसके बाद पाकिस्तान ने जांच टीम हिन्दुस्तान में भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया है। ... (व्यवधान) लेकिन अभी उसकी डेट, उसकी साइज और कितने लोग आयेंगे, यह डिटेल पाकिस्तान ने नहीं दी है। ... (व्यवधान) हम डेट का इंतजार कर रहे हैं। ... (व्यवधान) पाकिस्तान अगर डेट देगा तो उसे आगे किस तरह ले जाना है, उस पर भारत सरकार सहयोग करेगी। ... (व्यवधान)

(Q.63)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि क्या सरकार ने गेहूं आयात संबंधी मानदंडों को शिथिल किया है, यदि हां तो पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान अनुमत्य आयातों की बढ़ी हुयी मात्रा का विस्तृत ब्योरा मांगा था, ...(व्यवधान) लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं आया है। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिनांक 01 जनवरी को 13.80 मिलियन टन के स्टॉकिंग मानदंडों की तुलना में दिनांक 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टॉक 23.79 मिलियन टन है तो गेहूं को क्यों आयात किया गया, किस परिस्थिति में आयात किया गया।...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : हम डब्ल्यू.टी.ओ. के नियम के अनुसार आयात-निर्यात को पूर्णतः बंद नहीं कर सकते हैं।...(व्यवधान) हमने माननीय सदस्य के जवाब में कहा है कि 07.08.2015 से इंपोर्ट ड्यूटी 10 प्रतिशत था। ...(व्यवधान) हमने उसे 19.10.2015 से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया है।...(व्यवधान) जितना कठोर कदम हो सकता है, वह उठाया गया है।...(व्यवधान) हमारे यहां अनाज की कोई कमी नहीं है।...(व्यवधान) हमने वर्ष 2014-15 में 280 लाख टन अनाज खरीदा था।...(व्यवधान) इस बार भी हमने 280 लाख टन अनाज खरीदा है।...(व्यवधान) इसलिए हमारे पास गेहूं और चावल की कोई कमी नहीं है। ...(व्यवधान) हम डब्ल्यू.टी.ओ. के नियम के अनुसार टोटल इंपोर्ट को रोक नहीं सकते हैं।...(व्यवधान) हम डब्ल्यू.टी.ओ. के नियम के अनुसार आयात-निर्यात को पूर्णतः बंद नहीं कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि गेहूं क्यों सड़ रहा है? ...(व्यवधान) आप किसानों की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। ...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजादी के 67 साल हो गये। ...(व्यवधान) जो गेहूं सड़ रहा है, क्या उसे बाजार में बेचने का कोई उपाय है या नहीं है? ...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : उसे बाजार में बेचने का उपाय है। ...(व्यवधान) हमने ओएमएसएस के माध्यम से 66 लाख टन अनाज बेचा है ...(व्यवधान) जहां तक क्षति का सवाल है ...(व्यवधान) आपको मालूम है कि हमारे यहां 280 लाख टन अनाज का प्रोक्योरमेंट किया जाता है। ...(व्यवधान) उसमें केवल 150 टन क्षतिग्रस्त है। ...(व्यवधान) जो जीरो, जीरो, जीरो प्वाइंट कुछ प्रतिशत हो सकता है। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, the issue that is being raised by the hon. Members is very important but they have to go by the Rules. Let them give a notice. The Government has no problem in discussing the issue, if they give a notice. ... (*Interruptions*) The hon. Speaker has not allowed the Adjournment Motion. You have to give another motion. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats. I am requesting all of you to go back to your seats. After the Question Hour, I will hear you.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 noon.

11.36 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Twelve
of the Clock.*

12.00 hours

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

... (Interruptions)

12.0 ¼ hours

(At this stage, Shri P. Nagarajan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Bhartruhari Mahtab, Jai Prakash Narayan Yadav, Prof. Saugata Roy, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Shri Mallikarjun Kharge, Shri K.C. Venugopal, Shri Rajesh Ranjan, Shri T.G. Venketash Babu, Shri P. Kumar, Shri B. Senguttuvan, Shri S.R. Vijaya Kumar, Dr. P. Venugopal and Shri Anto Antony on different issues.

The matters through important do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities.

I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I have received other notices also.

... (*Interruptions*)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Madam Speaker, I have also given a notice.

HON. SPEAKER: What is your notice?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदया, 24 फरवरी, 2016 को इसी हाउस में ज्योतिरादित्य जी ने बोलते हुए कहा कि बंडारू दत्तात्रेय जी ने रोहित वेमुला को कास्टिस, एक्स्ट्रिमिस्ट, एंटीसोशल कहा। मेरा यह कहना है कि बंडारू दत्तात्रेय जी को एक लैटर मिला था, जिसे उन्होंने खाली फारवर्ड किया। इन्होंने रोहित वेमुला के लिए कास्टिस, एक्स्ट्रिमिस्ट, एंटी नैशनल नहीं कहा। इन्होंने मिसलीडिंग ऑफ हाउस किया है, इसलिए मेरा प्रिविलेज नोटिस है। आप मेरी प्रिविलेज नोटिस स्वीकार कीजिए।

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): अध्यक्ष महोदया, मैंने आपको अंडर रूल 223 के तहत प्रिविलेज मोशन का एक नोटिस दिया है। Shri Jyotiraditya Scindia has tarnished my image. My request that the letter, which I had written to the HRD Ministry, I had never mentioned the name of Rohith... (*Interruptions*)

The other thing is that I come from the OBC class. I am from a poor family. But Mr. Scindia has tarnished my image. Everybody knows in Hyderabad, in Andhra Pradesh and in Telangana about this defamation, which has come to me... (*Interruptions*)

Madam, the entire nation knows. I am telling you that in my whole life, I have committed myself for the cause of Dalits. I have worked for the OBCs. I have always stood for the Dalits. Not only that, my mother was a very poor lady. My mother used to sell onions. I have come from that phase of life. But he has tarnished my 30 years of service, as if I have done something to him and to Dalits... (*Interruptions*)

On the other hand, I have made sacrifices for the cause of Dalits.... (*Interruptions*) Madam, I am expressing it with pain. By this way, he has tarnished my image and reputation. So, I want that the Motion should be accepted... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have received notices of question of privilege dated 1st March, 2016 against Shri Scindiaji given by Shri Bandaru Dattatreya, Shri Rakesh Singh, Shri Ajay Tamta, Shrimati Anupriya Patel, Shri Janardhan Mishra, Shri Ganesh Singh, Shri Prahlad Singh Patel and others.

The matter is under my consideration.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Some hon. Members sought to raise the matters by way of notices. I had already observed yesterday that the matter was under my consideration. Whatever Privilege notices I have received, they are under my consideration.

... (*Interruptions*)

12.06 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): On behalf of Shri Sarbananda Sonowal, I beg to lay on the table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, for the year 2014-2015, along with Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4108/16/16]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) दमन और दीव पंचायत विनियम, 2012 की धारा 123 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:-

(एक) दमन और दीव पंचायत (निर्वाचन प्रक्रिया) नियम, 2014, जो 26 जून, 2015 के दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 30 (अंग्रेजी संस्करण) तथा अधिसूचना संख्या 61 (हिंदी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दमन और दीव पंचायत (निर्वाचन प्रक्रिया) नियम, 2015, जो 26 जून, 2015 के दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 25 (अंग्रेजी संस्करण) तथा 19 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या 34 (हिंदी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4109/16/16]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4110/16/16]

- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4111/16/16]

- (5) (एक) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4112/16/16]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ0सं0का0आ0 3949 (अ), जो 17 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रबी, 2015-16 के दौरान घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को किए जाने वाले यूरिया के प्रदाय आदेश को इंगित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 4113/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Border Security Force Headquarters Group 'C' (non-combatised) posts Recruitment Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 160(E) in Gazette of India dated 11th February, 2016 under sub-section (3) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968.

(2) A copy of the Central Industrial Security Force (Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 14(E) in Gazette of India dated 8th January, 2016 under subsection (3) of Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 4114/16/16]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): माननीय अध्यक्ष जी मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथ लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) भारतीय पुनर्वास परिषद् की नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4115/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. SANJEEV BALYAN): I beg to lay on the Table

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (i) Review by the Government of the working of the Gujarat State Seeds Corporation Limited, Gandhinagar, for the year 2014-2015.
- (ii) Annual Report of the Gujarat State Seeds Corporation Limited, Gandhinagar, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 4116/16/16]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the year 2014-2015.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 4117/16/16]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में प्रवासी अनुसूचित जातियों के समक्ष आ रही समस्याएं - मई, 2013 के बारे में प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4118/16/16]

12.07 hours**MESSAGE FROM RAJYA SABHA**

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 26th February, 2016 agreed without any amendment to the Election Laws (Amendment) Bill, 2016 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 25th February, 2016.”

12.08 hours**CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER
(AMENDMENT) BILL, 2016***

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.”

The motion was adopted.

श्री थावर चंद गहलोत: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 01.03.2016.

12.09 hours

(At this stage, Shrimati Ranjit Ranjan Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: Do you want 'Zero Hour'? Please go to your seats. I just do not know what you want. You have to go to your seats.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: I will allow you but you go to your seat. This is not the way. I am sorry.

... *(Interruptions)*

12.09 ½ hours

(At this stage, Shri P. Nagarajan and some other hon. Members went back to their seats.)

HON. SPEAKER: I have told all privilege notices are under my consideration. This is not the way. I am sorry. Everybody cannot raise it.

रंजीत जी, मैंने आपका नोटिस भी रखा है। You do not want to run the House. Please go to your seats.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नोटिस भी है।

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Regarding all privilege notices, I have taken your name also. I have taken everybody's name. All privilege notices are there.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: No, I am sorry.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: But you go to your seats. Then only, I will allow you, otherwise not.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: All of you please go to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, do not show me the book. I know. I am sorry. Go to your seats. Nothing will go on record.

... (*Interruptions*)... *

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, you had allowed them yesterday. Yesterday they were given opportunity. He is an aggrieved party.

HON. SPEAKER: I know.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, you have allowed yesterday. Already, you have taken the names.

HON. SPEAKER: I have already allowed. That is why, I have taken all the names. Shrimati Ranjeet Ranjan's name is also there. The matter is under my consideration. It is not like that.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You please go to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, Dr. P. Venugopal, do you want to say something?

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, I am sorry. You go to your seats.

... (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam, I have given notice to move an Adjournment Motion regarding a very important issue.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seats. This is not the way, please.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. P. Venugopal, do you want to speak or not? This will go on.

... (*Interruptions*)

* Not recorded.

DR. P. VENUGOPAL : Madam, the House has to be in order.

HON. SPEAKER: You have made it disorder. Now they are making it.

... (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL: Madam, the House has to be in order.

HON. SPEAKER: Do you want to say or not?

... (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL: Madam, the House has to be in order.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.12 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hours

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

SUBMISSION BY MEMBER

Re : Reported disclosure by ED and IT on investments by a firm owned by the son of a former Finance Minister

HON. SPEAKER: Now, Dr. Venugopal.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Madam, I have given a notice to move an Adjournment Motion regarding a very important matter of huge investments and real estate acquisitions made by the company owned by the son of the former Union Finance Minister. ... *(Interruptions)*

Hon. Speaker, I have not mentioned any name. I have just said 'the former Finance Minister'. ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Ok.

DR. P. VENUGOPAL : Madam, enormous new evidences are available with the law-enforcing agencies of India to prove the joint loot by the former Finance Minister and the former DMK Ministers through the Aircel-Maxis Deal, which is a part of the 2G Spectrum Scam.

Though an avalanche of documents were seized by the officials of the Income Tax Department and the Enforcement Directorate from the premises of former Finance Minister's son long back, the present Government and its Prime Minister, Shri Narendra Modi's inaction has come as a rude shock to the nation. The documents with Enforcement Directorate and Income Tax Department proved the huge investments made illegally by the son of the former Finance Minister in many parts of the world.

The details of involvement of the former Finance Minister's family in the Aircel-Maxis Deal and huge financial gains they obtained through it are lying with

the Government for quite long. But, surprisingly, either the Prime Minister of India is kept in dark about the evidence available with the Government or he is hesitant to take any action against the looters.

Millions of dollars gained by the family of the former Finance Minister through the DMK orchestrated Aircel-Maxis Scam have been deployed to acquire huge tracks of farm land, sports facilities, to make investment in real estate and other companies in many countries, including the Great Britain, South Africa, Malaysia, Sri Lanka and Dubai.... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Please sit down. Let him complete.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: He has not taken any name.

... *(Interruptions)*

DR. P. VENUGOPAL: The slow progress in investigation and trial relating to the former Finance Minister and the former DMK Ministers involved Aircel-Maxis Scam gives an impression that there are forces within the NDA and various agencies of the Government which are trying to dilute the entire process and thereby help the culprits escape with the loot running into several hundred crores of rupees. ... *(Interruptions)*

The former Finance Minister facilitated the Malaysian Telecom giant, Maxis to acquire Aircel Telecom forcibly from a Tamil Nadu businessman with the connivance of the former DMK Telecom Minister through Foreign Investment Promotion Board (FIPB) clearance during the UPA rule. ... *(Interruptions)*

The joint loot of the former Central Ministers had yielded several thousand crores of illegal wealth to the families of these former Ministers and remain. ... *(Interruptions)*

Hence, Madam Speaker, we urge the hon. Minister to come and assure the House. ... *(Interruptions)*

Madam, we want him to assure that the guilty would not be spared and they would be brought to book immediately. ... (*Interruptions*) We want only the Prime Minister ... (*Interruptions*) We want the Prime Minister to come and make a statement in the House. ... (*Interruptions*)

14.05 hours

(At this stage, Shrimati V. Sathyabama and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is all this? Now, nothing will go on record.

... (*Interruptions*)... *

HON. SPEAKER: This is not fair. I have allowed him to speak the whole thing.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, I am sorry. This is not the way.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam Speaker, this issue, which has been raised by them, is agitating the Members and it is a matter of corruption which has been raised and it had appeared in the media. ... (*Interruptions*)

Madam, we have assured them that if they move a substantive motion which is agreed to by you, we will be ready to hold any discussion on the subject. With regard to the point that they are saying that the Government did not act, this matter is also, I believe, if I am not wrong, under the supervision of the Supreme Court, and the investigations are on. The Government is not there to protect anyone who has done wrong. No one is above law. ... (*Interruptions*)

* Not recorded.

I think, the hon. Members of AIADMK party should agree for a debate on the subject. We are ready to admit it. The Government, the Finance Minister will certainly come back and respond to that. So, my only appeal to the hon. Members is to go back to their seats because they have been allowed to raise the matter by your honourable self. I think, this is the request - what we are doing. ...
(Interruptions)

There is no question of the NDA Government being not aware or not being active or not taking action. We will do whatever is due under law. ...
(Interruptions)

HON. SPEAKER: I have allowed him to raise the matter. Now, you have to go back to your seats.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: It cannot go on like this that you speak also and then, again, you disturb the House. Do not show me any paper. Showing the paper is nothing.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: I have allowed him to raise the matter.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: I cannot give you justice.

I have given you justice as he has raised the matter. Now, please go to your seats. He has raised the matter and justice has been done.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Government is ready to respond, but in a proper way, under proper rule, you have to demand for it.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: It is not like that. You are disrupting the House. I am sorry.

.

14.08 hours**MATTERS UNDER RULE 377**

HON. SPEAKER : Now, matters under Rule 377-Shrimati Neelam Sonkar.

(i) Need to set-up an Akashvani Kendra at Azamgarh, Uttar Pradesh

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं उस ऐतिहासिक पल को याद करते हुए, जब नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने नवम्बर 1941 में रंगून से रेडियो के द्वारा भारतीयों को संबोधित कर स्वतंत्रता संग्राम को ताकत प्रदान करने का काम किया था, रेडियो के महत्व व इसकी पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों में महत्व की बात रखना चाहती हूँ। ... (व्यवधान)

आकाशवाणी गांवों में गरीब किसान, नौजवान, छात्र सभी को संचार व बाकी दुनिया से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, केबल कनेक्शन, इंटरनेट व परिवहन के अभाव में सुदूर इलाकों में देश दुनिया की खबरों, खेल, किसानों के लिए मौसम का हालत तथा संगीत का सबसे प्रभावी माध्यम रेडियो है। ... (व्यवधान)

मैं कहना चाहती हूँ कि बहुपयोगी, सस्ता और सशक्त संचार का साधन होने के बाद भी पूर्वांचल का केन्द्र आजमगढ़ आज भी आकाशवाणी केन्द्र की सुविधा से वंचित है। ... (व्यवधान)

आजमगढ़ शिक्षा, साधना, संस्कृति और कला का सदैव से केन्द्र रहा है। यह पं. श्यामनारायण पाण्डेय, राहुल संस्कृत्यायन, शिबली नोमानी और अयोध्या सिंह उपाध्याय “हरिऔध” की धरती है। पं. छन्नू लाल मिश्र का मशहूर घराना हरिहरपुर की धरती आजमगढ़ ही है। लेकिन शिक्षा और संचार के उचित और पर्याप्त माध्यम न होने से इस क्षेत्र मात्र की धरोहरों व इसकी प्रतिभा को विकसित होने का मौका नहीं मिला। क्षेत्र की जनता बाकी दुनिया तो दूर स्वयं के क्षेत्र की भी पूरी जानकारी नहीं ले पाती। ... (व्यवधान)

मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से सदन में भारत सरकार से मांग करती हूँ कि किसानों, छात्रों व ग्रामीण जनता के हित व क्षेत्र के सतत विकास के लिए आजमगढ़ में उच्च क्षमता का आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं विश्वास करती हूँ कि जल्दी सुनने को मिलेगी कि “यह आकाशवाणी आजमगढ़ है” यह आजमगढ़ की जनता की “मन की बात है।”

...(व्यवधान)

(ii) Need to expedite setting up of Passport Seva Kendra at Udaipur, Rajasthan.

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र उदयपुर राजस्थान में 03 फरवरी, 2016 को विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी, इस हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यवाही चल रही है, परन्तु कुछ सरकारी अधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी तक प्रशासनिक व औपचारिक आदेश जारी नहीं हो सके हैं। उदयपुर नगर निगम द्वारा विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट सेवा केन्द्र हेतु सौंपे गए भवन को पासपोर्ट सेवा केन्द्र के अनुकूल ही तैयार कर दिया गया है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अतिशीघ्र प्रशासनिक व औपचारिक आदेश जारी करायें तथा एक तकनीकी टीम उदयपुर भेजकर शीघ्र ही पासपोर्ट सेवा केन्द्र शुरू करायें ताकि उदयपुर संभाग की आम जनता को अपने पासपोर्ट बनवाने की सुविधा जल्दी और सुलभ मिल सके।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री चांद नाथ - अनुपस्थित।

(iii) Need to take welfare measures for cotton farmers in the country.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदया, मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि जैसे राज्यों में आत्महत्या कर रहे कपास के किसानों की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है समय के साथ जनसंख्या बढ़ने के साथ कृषि लायक जमीनों पर दबाव काफी बढ़ रहा है और साथ ही प्रति व्यक्ति जोतों का आकार भी काफी कम हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय वस्त्र राज्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि वे इन क्षेत्रों में प्रचलित पारम्परिक हस्तशिल्पों का सर्वे तथा अध्ययन कराएं तथा किसानों को संगठित रूप से सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिससे वह घर बैठकर हस्तशिल्प का उत्पादन कर सकें। साथ ही उनको सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध करावाएं तथा उन्हें अपने उत्पादकों को बेचने के लिए मार्केट लिंकेज भी उपलब्ध करवाएं जिससे कृषि क्षेत्र पर आधारित जनसंख्या का दबाव कम हो सके तथा लोगों को आजीविका के अन्य विकल्प मिल सकें। इससे किसानों को मौसम की अस्थिरता की मार को भी नहीं झेलना पड़ेगा।...(व्यवधान)

(iv) Need to conduct an inquiry into alleged misappropriation of funds under Mid-day meal scheme in Bihar.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान बिहार के स्कूलों में मध्याह्न भोजन में हो रही अनियमितताओं की तरफ दिलाना चाहती हूँ। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को ज्यादा संख्या में बताकर कथित रूप से केन्द्रीय योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर सीतामढ़ी जिले में बच्चों की जनसंख्या 6 लाख 65 हजार 640 है, जबकि स्कूलों में नामांकन 6 लाख 67 हजार 106 बच्चों का किया हुआ है। खगड़िया जिले में बच्चों की संख्या 3 लाख 50 हजार 53 है परन्तु नामांकन 3 लाख 69 हजार 106 बच्चों का दिखाया गया है। किशनगंज में 3 लाख 43 हजार 963 बच्चों की जनसंख्या है जबकि नामांकन 3 लाख 94 हजार 897 बच्चों का है। गया जिले में 8 लाख 58 हजार 934 बच्चे हैं जबकि नामांकन में उनकी संख्या 8 लाख 71 हजार 428 दिखायी गयी है। इसमें सीतामढ़ी मेरे संसदीय क्षेत्र का एक जिला है। इन जिलों के बच्चों में आधे से ज्यादा पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस तरह से बच्चों की अधिक संख्या को बताकर लाखों बच्चों के मध्याह्न भोजन योजना हेतु मिली राशि के प्रयोग में अनियमिततायें बरती जा रही हैं। खेद की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे हथकंडे अपनाये जा रहे हैं जहां पर शिक्षा का स्तर नीचा है और बिहार के विकास के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारने की अति आवश्यकता है। पूरे बिहार में इस मध्याह्न भोजन के तहत हो रही अनियमितताओं को रोका जाए, इसकी जांच जनहित में अति आवश्यक है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि बिहार में मध्याह्न भोजन योजना में हो रही अनियमितताओं की जांच की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।... (व्यवधान)

(v) Need to set up Kendriya Vidyalayas at Vishnah, Naushera and Poonch in Jammu and Kashmir

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी एवं मंत्रालय का ध्यान जम्मू क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। निम्न स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने की अति आवश्यकता है --

- 1) विश्नाह जिला जम्मू
- 2) नौशेरा जिला राजौरी
- 3) पूंछ जिला पूंछ

इन तीन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर स्थानीय लोग रोज ही धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से प्रार्थना है कि यहां पर जल्द केन्द्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा करें। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Naranbhai Kachhadiya – not present; Shri Prabhubhai Nagarbahi Vasava – not present.

Shri Maheish Girri.

**(vi) Need to provide the facility of helipad in East Delhi
parliamentary constituency**

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, दिल्ली के बाकी क्षेत्रों की तरह ही पूर्वी दिल्ली में आवागमन तथा ट्रैफिक संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं तथा पूर्वी दिल्ली और बाकी दिल्ली के बीच यमुना नदी पर स्थित पुल **Connecting channels** है जो कि **bottle neck** बन जाते हैं। यदि किसी भी क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए या कोई आगजनी की घटना हो जाए या किसी भी कारणवश रोड ट्रांसपोर्ट के रूट डिस्टर्ब हो जाएं तो ऐसी घनी आबादी को तो राहत संबंधी सामग्री या मैडिकल सर्विस पहुंचाना सिर्फ एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही संभव है। 50 लाख की आबादी के साथ यह केवल एक दिल्ली का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार देखें तो यह अपने आप में एक बड़े शहर जितना है। अब यहां एक हवाई अड्डा तो बनाना संभव नहीं है, परन्तु इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे अनुसार पूर्वी दिल्ली में एक हेलिपैड का होना अति आवश्यक है। हेलीपैड की उपलब्धता से यह सुनिश्चित होगा कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हेलीकाप्टर द्वारा राहत सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सके तथा प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवागमन में ना तो आम जनता को ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़े और ना ही इन विशेषाधिकृत व्यक्तियों को। अतः मैं सदन के समक्ष पूर्वी दिल्ली में हेलीपैड निर्माण के लिए निवेदन करता हूं।...(व्यवधान)

(vii) Need to set up a hospital with all the modern healthcare facilities in Kairana parliamentary constituency, Uttar Pradesh.

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदया, विगत 4 महीनों से देश के अधिकांश भागों में डेंगू का भयंकर प्रकोप रहा है। राजधानी दिल्ली में भी हजारों लोग इससे प्रभावित हुए तथा बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई। मेरा लोक सभा क्षेत्र कैराना भी डेंगू रोग से ग्रसित हुआ और सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। स्थानीय स्तर पर इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। निजी क्षेत्र के चिकित्सकों ने स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए प्रभावित परिवारों का भरपूर शोषण भी किया। अभी तक भी गांवों में डेंगू का प्रभाव मौजूद है। इसके अतिरिक्त प्रदूषित जल एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण हजारों की संख्या में लोग हृदय रोग से लेकर टी.बी. तथा कैंसर के रोगों से ग्रसित हैं। क्षेत्र के कैराना, शामली, थानाभवन, नकुड़, गंगोह में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक भी चिकित्सालय नहीं है। गरीब लोगों के लिए निजी चिकित्सालयों में इलाज कराना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः बीमारी का शिकार होकर लोग मौत के मुंह में जाने को मजबूर हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त किसी भी स्थान पर सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित चिकित्सालय की अविलम्ब स्थापना की जाए, ताकि लाखों लोगों की गंभीर रोगों से रक्षा की जा सके।
धन्यवाद!...(व्यवधान)

(viii) Need to include Makrana city in Rajasthan under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) Scheme.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदया, मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय शहरी विकास मंत्री का अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने शहरों के विकास हेतु "स्मार्ट सिटी" एवं "अमृत योजना" योजना प्रारंभ की है। देश के 100 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना लागू कर सर्वांगीण विकास का मार्ग सुलभ किया है। इसी प्रकार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में जहां पर कि नगर परिषदें कार्य कर रही हैं, वहां "अमृत योजना" प्रारंभ की गयी है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र में "मकराना" शहर विश्वप्रसिद्ध सिटी है। यहां का संगमरमर विश्व में सबसे अच्छी श्रेणी का है एवं विश्वप्रसिद्ध "ताजमहल" यहीं के संगमरमर से बना हुआ है। आज भी संपूर्ण भारत में यहीं का पत्थर भव्य इमारतों में काम आ रहा है। दूसरा यह है एक ऐसा शहर है, जहां पर अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। ...(व्यवधान)

सन् 2011 से पूर्व इस शहर में नगरपालिका थी। 2011 की जनगणना के पश्चात् नगरपरिषद बनी। इसका प्रमुख कारण है कि मकराना के Urban Agglomeration की जनसंख्या 2011 में 1.16 लाख थी। इस शहर को "अमृत योजना" में मानकर यहाँ के अधिकारियों को राज्य स्तर की बैठकों में बुलाया जाता रहा। परंतु बाद में शहर की जनसंख्या सन् 2011 में 96000 बता कर अमृत योजना से बाहर कर दिया गया। इस संबंध में मैंने माननीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री जी से व्यक्तिगत अनुरोध किया।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विश्वप्रसिद्ध शहर मकराना (राजस्थान) जिसमें कि अल्पसंख्यक ज्यादा रह रहे हैं एवं राज्य को अच्छी आय जहां से प्राप्त हो रही है, उसको अमृत योजना वाले शहर की सूची में स्थान दिया जाए। ...(व्यवधान)

(ix) Need to reduce the rate of mobile SMS sent in Hindi language.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदया, आज का युग मोबाइल क्रांति का है। हम अपने संदेश एक दूसरे के पास एस.एम.एस./वाट्सऐप्प व ई-मैसेज के रूप में भेज सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते, वे आज भी एस.एम.एस. सुविधा का इस्तेमाल इंटरनेट के माध्यम से भेजे जाने वाले मैसेज से कहीं ज्यादा करते हैं। मौसम विभाग भी किसानों को मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए एस.एम.एस. सुविधा का इस्तेमाल कर रहा है। एस.एम.एस. हिंदी, अंग्रेजी व अन्य देशों की भाषा में भेजा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस सेवा का उपयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं कर पाते, कारणवश उन्हें अपना संदेश हिंदी में ही लिखना पड़ता है। ...(व्यवधान)

एस.एम.एस. सुविधा को छोड़ कर मोबाइल की सभी सेवाओं में किसी भी भाषा का प्रयोग करने पर एक समान चार्ज लगता है, हिंदी एस.एम.एस. की कीमत अंग्रेजी के अपेक्षा अधिक चुकानी पड़ती है, जिसका कारण स्पष्ट है कि प्रत्येक हिंदी के शब्द को बनाने में मात्राओं को अलग की-स्ट्रोक गिनने के कारण अधिक की-स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा जाना आम है कि अंग्रेजी में आए एस.एम.एस. को पढ़वाने के लिए दूसरों के पास जाना पड़ता है। ...(व्यवधान)

आज हमारी सरकार पिछले कई वर्षों से हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। यह प्रयास पिछले कई दशकों से चलते आए हैं। प्रत्येक मंत्रालय व विभागों में प्रतिवर्ष हिंदी पखवाड़े का आयोजन भी किया जाता है। बैंकों को भी हिंदी भाषा का प्रयोग करने के निर्देश समय-समय पर दिए जाते रहे हैं। पिछले दशकों में कई करोड़ रुपये की धनराशि हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए खर्च की जा चुकी है। ...(व्यवधान)

मेरा सदन के माध्यम से माननीय सूचना और संचार मंत्री जी से अनुरोध है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के क्रम में हिंदी भाषा के एस.एम.एस. के शुल्क को आधा करने हेतु मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को निर्देश जारी करने की कृपा करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों को उनकी मातृ भाषा का लाभ आसानी से तथा कम दर पर मिल सके। ...(व्यवधान)

(x) Need to ensure mandatory 27% reservation in jobs and educational institutions to people belonging to Other Backward Classes in the country particularly in Maharashtra

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : महोदया, देश में भारतीय संविधान की धारा 340 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रवर्ग के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक अधिकार है। ओबीसी, इस पिछड़ा वर्ग के समाज को मंडल आयोग के अनुसार 27 फीसदी आरक्षण का हकदार होने पर भी केन्द्र सरकार से आरक्षण उपलब्ध कराने में अनदेखी हो रही है। 27 फीसदी आरक्षण होने के बावजूद भी देश में ओबीसी समाज के लिए 19 फीसदी आरक्षण देने के सरकारी रिकार्ड दर्ज हैं। इससे ओबीसी समाज को पूरी तरह आरक्षण का लाभ नहीं देने की बात सामने आयी है। शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को प्रवेश, डोमिसाइल, क्रीमी लेअर आदि प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने में पर्याप्त आरक्षण एवं अन्य सुविधा ना देने से उन पर अन्याय हो रहा है। गत 6 वर्ष से महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति अनुदान राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। उसके परिणामस्वरूप लाखों विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान होकर भविष्य खराब हुआ है। सरकारी नौकरी में पदोन्नति संबंधी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले में ओबीसी समाज को 6 फीसदी आरक्षण दिया जाता है। इस तरह देश में कई राज्यों में ओबीसी समाज पर अन्याय हो रहा है। वर्ष 1931 से अभी तक इस समाज की जनगणना नहीं होने से उनका विकास नहीं हुआ है। इसलिए इस अन्यायग्रस्त पिछड़े वर्ग के ओबीसी समाज को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने के लिए स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करके केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्रता से कार्यवाही कराने की आवश्यकता है।... (व्यवधान)

**(xi) Need to permit picking of stones from Pandai river in Valmiki Nagar
parliamentary constituency, Bihar**

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मीकी नगर के प्रखंड गौनाहा के भिखनाठोरी स्थित पंडई नदी में पत्थर चुनने का काम पिछले कई सालों से बन्द है, जिसके कारण यहाँ के हजारों लोग भुखमरी के कगार पर हैं। उनके सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ मजदूरों के द्वारा हाथ से पत्थर चुना जाता है। यह पत्थर नेपाल से नदियों के द्वारा बहकर आता है। पत्थर नहीं निकाले जाने के कारण नदी का पेट भर जाता है, जिसके कारण हजारों एकड़ वनों को नुकसान हो जाता है और कीमती लकड़ियों को भी नुकसान होता है। यह टाइगर प्रोजेक्ट से तीन किलोमीटर दूर स्थित है।

अतः इस अति महत्वपूर्ण विषय पर आप अपना संज्ञान लें और जल्द से जल्द एन.ओ.सी. दिलाने की कृपा करें। हाथ से पत्थर चुनने की परमीशन दी जाए, ना कि विस्फोट के द्वारा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सके।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. अंशुल वर्मा।

डॉ. रमेश पोखरियाल जी।

(xii) Need to provide clean drinking water to residents of Haridwar in Uttarakhand

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदया, मैं आपका ध्यान हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के शहरी/ग्रामीण इलाकों में दूषित पेयजल द्वारा होने वाली गंभीर बीमारियों की तरफ दिलाना चाहता हूँ।

महोदया, हरिद्वार जो कि योग और अध्यात्म की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विख्यात है, आज दूषित पेयजल के गंभीर संकट से गुजर रहा है। जनपद हरिद्वार में लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं। हरिद्वार जिले का खानपुर ब्लॉक विशेष रूप से प्रभावित है। भारूवाला, कर्णपुर आदि गाँवों के सैंकड़ों लोगों के हेपेटाइटिस-सी से ग्रसित होने की पुष्टि हुई है। सभी लोग आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े हैं और महंगा इलाज करवाने में सर्वथा असमर्थ हैं। रक्त परीक्षण कराने के लिए भी इन्हें महंगे निजी चिकित्सालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

महोदया, इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनपद हरिद्वार के पेयजल का परीक्षण करवाकर उसकी गुणवत्ता में सुधार किए जाने हेतु तुरन्त व्यापक कदम उठाये जाएं। इसके अतिरिक्त समस्त पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।... (व्यवधान)

(xiii) Need to improve the condition of post office buildings as well as appointment of adequate postal staff in Bardoli parliamentary constituency, Gujarat.

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदोली) : अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार का एक उपक्रम डाक विभाग वर्तमान समय में बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रहा है। कहीं पर स्टाफ की कमी है और कहीं पर भवन की हालत जर्जर स्थिति में है। आज भी मृतकों के आश्रित बहाली के लिए लंबी कतार में हैं परन्तु उनकी बहाली नहीं हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप मृतक के आश्रित परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बारदोली जिला-सूरत, गुजरात के आदिवासी कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक भवन की स्थिति काफी खराब है तथा कर्मचारी की कमी की वजह से वहाँ की ग्रामीण जनता को कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि डाक विभाग की सुविधा को सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें।

(xiv) Need to provide a special financial package to Kerala for providing basic amenities to pilgrims visting Sabarimala temple in the State.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Speaker, Chengannur Municipality in Kerala with 27 Wards and more than 30,000 population is the gateway to Sabarimala. Even though the population of Chengannur is 30,000, during Sabarimala pilgrimage season three crore Pilgrims visit Sabarimala using Chengannur as their transit point. The Chengannur Municipality is struggling to provide basic amenities for the pilgrims during their visit. The Municipality requires huge infrastructure facilities to cater to the requirements of the pilgrims viz. drinking water facilities, drainage system, toilets, bathing places, waste disposal system, upgradation of taluk hospital, providing adequate light and electricity, dormitories and Yatri niwas etc. for short stay of the pilgrims. The devotees used to take bath at Pamba River where proper lighting and bathing ghats need to be constructed. Chengannur Mahadeva temple has a pond which also needs to be renovated with the ghats. In order to provide basic amenities to the visiting pilgrims to Sabarimala, a special package of Rs. 250 Crore may be sanctioned to Chengannur Municipality by the Ministry of Urban Development, Government of India.

(xv) Need to set up the proposed National Institute of Medicinal Plants in Thiruvananthapuram in Kerala.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Hon. Speaker, Kerala is known for its traditional knowledge of Ayurveda and related practices involving medicinal plants and herbs.

Kerala is the cradle of Ayurveda in India and it was in recognition of this potential that the Ministry of AYUSH is considering the establishment of the National Institute of Medicinal Plants in Kerala.

This institute is intended to be in pursuance of the Government's 'Vision for Ayurveda 2020' proposal. The institute should ideally be located in Thiruvananthapuram, the State Capital of Kerala, which also hosts the famous Government Ayurveda College.

The State Medicinal Plant Board of the Government of Kerala has already submitted a detailed Project Report on the proposed institute, for the Government's review.

I urge you to approve the report and release the initial amount of Rs. 50 lakh for establishing the National Institute of Medicinal Plants in Thiruvananthapuram.

HON. SPEAKER: Smt. R.Vanaroja	...	Not present
Shri S.R. Vjayakumar	...	Not present
Shri Dinesh Trivedi	---	Not present
Shri Sultan Ahmed	---	Not present

(xvi) Need to release the backlog amount of Central Assistance under post-matric scholarship scheme to Government of Odisha.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): As you are aware that Odisha Government has been offering highest priority to education of weaker section of society particularly SC/ST students. I would draw your kind attention to the issue that Central assistance released from Tribal welfare Ministry towards Post-Matric scholarship to SC students has been grossly inadequate since 2014-2015. This has created significant arrears received from the said Ministry and progressive outstanding dues amount to Rs. 121.17 crores in 2014-15.

Since huge gap in receipt of central assistance against the actual requirement is not only putting the economically poor SC students to hardship but also posing serious challenges to state Government in managing the grievances to helpless students.

In order to ensure that the arrears of SC students do not affect them, the State Government has incurred the expenditure out of their own budget provision for 2015-16 to meet the arrears claim of 2014-15. One can understand how much the state government is concerned with the problems of SC students.

Hence, I urge upon the Central Government to release the backlog amount under the post-matric scholarship scheme to Government of Odisha.

(xvii) Need to review the inclusion of 'Sindh' in the National Anthem of India and make suitable amendments

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान यह राष्ट्र के सम्मान के विषय हैं। हम सब भारतीय परम आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ राष्ट्रगान गाते हैं।

यह राष्ट्रगान संसद ने 24 जनवरी, 1950 में पारित किया। उस वक्त इस राष्ट्रगान में दूसरी पंक्ति पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल बंग है। इस पंक्ति को हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा इस तरह से गाते हैं। जबकि संसद ने पारित किए हुए राष्ट्रगान में 'सिंधु' यह शब्द है। संसद ने यह बदलाव पूरे विचार से किया था। सिंध नाम का कोई प्रांत हिन्दुस्तान में आज नहीं है और संसद द्वारा पारित किए हुए इस राष्ट्रगान को बदलने का अधिकार संसद के सिवाय अन्य किसी को नहीं। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके माध्यम से राष्ट्रगान में सही शब्दों का बदलाव करने की मांग करता हूँ।

(xviii) Need to procure maize at MSP from the farmers of Telangana

SHRI CH. MALLA REDDY (MALKAJGIRI): Madam Speaker today I wish to raise one very important issue related to the plight of the farmers in of Telangana. In Telangana, the farmers are facing a lot of difficulties and they have been hurt very badly due to poor yield and procurement. In Telangana farming is not very diverse. Maize is grown by the farmers in close to 80% of the cultivable area in the State. Government of India procures many crops like paddy by giving Minimum Support Price, but Telangana farmers mostly produce coarse grains like Maize due to poor condition of rainfall and soil. Maize is a staple food of Telangana and it is also a feed for cattle and an important component of the starch industry. Majority of these farmers are extremely poor and own very little land. I request the government to initiate procurement of Maize from these farmers at MSP.

(xix) Need to fix tariff in Indian Rupees for Indian citizens who use the services of luxury train Maharajas' Express

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): There is a need to fix the tariff for the famous tourist luxury train Maharajas' Express in Indian Rupees for the benefit of Indian citizens.

The Maharajas' Express, India's finest and most expensive luxury train, is the winner of the World's Leading Luxury Train award between 2012 and 2015.

It runs 5 different tours, namely: Indian Splendor; Heritage of India; Treasures of India; Gems of India; and Indian Panorama, with fares published only in US Dollars, ranging from \$ 2,910 to \$ 23,700.

Due to the fluctuating rate of exchange of the dollar against rupee, there is no fixed tariff available for Indian tourists who use this service. It is a barrier for those interested in enjoying this luxury travel experience.

Therefore, I strongly urge the Government to correct this anomaly of Indian Railways charging Indian citizens, for a Journey in India, in US Dollars. It is long overdue to offer prices in Indian Rupees to Indian Citizens, while retaining US Dollars for foreign tourists.

(xx) Need to set up a steel plant in YSR district of Andhra Pradesh

SHRI Y.S. AVINASH REDDY (KADAPA): I would like to draw the attention of the hon. Speaker with regard to promise made on the floor of the august House with regard to establishment of Steel Plant in YSR District of Andhra Pradesh.

Madam, Andhra Pradesh Reorganisation Bill 2014 in its 13th Schedule clearly mentioned the establishment of a steel plant in YSR District. Subsequently, a team comprising of six officials from SAIL had surveyed in different places of YSR District in June, 2014 itself. As a local MP, I have also participated in the Survey.

HON. SPEAKER: Hon. Member, you have to read only what is written in the text.

SHRI Y.S. AVINASH REDDY: The SAIL has submitted a report to the Steel Ministry for taking necessary action. I have written four letters on 4.2.2015, 5.5.2015 and recently on 2.11.2015 and 17.12.2015 to the hon. Steel Minister to expedite the matter.

I have received a reply from the hon. Steel Minister dated 25.2.2016 informing me that this is referred to a Task Force comprising of State and Central Government officials, to deliberate the matter further. The people of the Rayalaseema strongly believe that if the Government of India gives necessary incentives, then, SAIL will set up steel plant in YSR District immediately. Nearly two years have passed so far but no progress has been made in this matter. The people of the Rayalaseema Region` are eagerly waiting for establishment of the steel plant in this backward area which will entail considerable infrastructure and economic development along with employment generation.

In view of the above, through you, I urge upon the hon. Minister of Steel to look into the matter and initiate setting up of integrated steel plant at the earliest in the YSR District of Andhra Pradesh which will be a boon to the people of the backward Rayalaseema Region. `

(xxi) Need to fix the grant amount of Indira Awas Yojana according to the construction cost of a region

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Madam, Speaker, in India out of the estimated 200 million families, approximately 65 to 70 million families do not have adequate housing facilities. The Central Government has been implementing Indira Awas Yojana (IAY) as part of the enabling approach to shelter for all, taking cognizance of the fact that rural housing is one of the major anti-poverty measures for the marginalised. It envisages provision of shelter to millions of rural families belonging to SCs/STs and those who are below poverty line (BPL). But it is sad to say that IAY is way off the mark of its target. Insufficient grant (Rs 2 lakh per family) and flouting of norms have eclipsed the high outcome figures. Even as the Government has met the quantitative targets under IAY, its performance on other parameters is not so creditable. The grant of rupees 2 lakh is a paltry sum considering the cost of the building materials.

For example, in a State like Kerala, a truck load of sand costs more than Rs.30,000 and a truck load of stone costs around Rs. 8000. In Kerala it is impossible to complete the construction with a meagre amount of Rs. 2 lakh. Further, the grant amount is given in four instalments depending upon the progress of construction. This has forced beneficiaries to give away the construction halfway. Many others, who completed the construction by arranging money from local moneylenders or banks, are facing eviction from their homes due to non-repayment of loan. In some cases, since the amount is insufficient, many poor people are reluctant to take the grant. I urge upon the Government to take urgent measures to fix the grant amount according to the regional cost of its building and conduct a thorough enquiry into flouting of norms under IAY.

**(xxii) Need to ban the manufacturing and sale of flavoured betel nut
in the country**

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, Speaker, I would like to draw the attention of the Government towards the use of flavoured and scented *supari* especially among the children and youth. In 2004, the World Health Organization had classified areca or betel nut as carcinogenic to humans even without addition of tobacco to it. As per the International Agency for Research on Cancer and World Health Organization monograph, *supari* (areca nut or betel nut) causes dependence syndrome, cancer, heart disease, diabetes, blood pressure, obesity, reproductive health disorder. *Supari* is made more attractive for a wider section of the population, including kids, by flavouring and scenting it or by mixing additives to it. It is available practically everywhere and is also sold in ready-to-chew pouches called Pan Masala, as a mixture of many flavours whose primary base is arecanut crushed into small pieces. Maharashtra has taken first steps in prohibiting arecanut which is flavoured, scented or mixed with additives. I would request the Government to ban the manufacturing/sale and distribution of flavoured/scented *supari* in all the States to reduce the menace of this disease and save our youth.

(xxiii) Need to set up BSNL mobile towers in Naxal affected districts of Bihar

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श पर बिहार राज्य के विशेष नक्सल प्रभावित जिलों सहित पूरे बिहार में वर्ष 2013-2014 में 500 बी.एस.एन.एल. टावर लगाने हेतु निर्णय हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक एक भी टावर नहीं लगाया गया है। ... (व्यवधान) पूरे बिहार में बी.एस.एन.एल. की सेवा कैसी है, इस तथ्य से सभी वाकिफ हैं। ... (व्यवधान)

अतः मैं संचार मंत्री भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उपरोक्त घोषणाओं पर अमल करें। ... (व्यवधान)

(xxiv) Need to run Mahuva-Surat Express on daily basis and extend its services upto Mumbai

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : अध्यक्ष महोदया, सूरत एक डायमंड सिटी एवं मुम्बई एक वाणिज्यिक शहर होने की वजह से इस रूट में बड़ी संख्या में लोग व्यापार के लिए आवागमन करते हैं तथा हजारों व्यापारी इस रूट का उपयोग करते हैं। ... (व्यवधान) लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस रूट पर केवल एक ट्रेन महुवा-सूरत एक्सप्रेस (12946-12945) चलती है, जो पूरे सप्ताह में एक ही दिन चलती है और सूरत तक चलती है। ... (व्यवधान) इस कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इस विषय को लोक सभा सदन में वर्ष 2009 से लगातार उठा रहा हूँ और अब यह प्रस्ताव डी.आर.एम. भावनगर डिवीजन की ओर से दिनांक 3.7.2014 को मुख्य यात्री परिचालन प्रबन्धक चर्च गेट मुम्बई के पास भेजा जा चुका है।

अतः मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि इस ट्रेन को प्रतिदिन के आधार पर मुम्बई तक चलाया जाये।

HON. SPEAKER: I am again requesting all of you, please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is your point? There is nothing.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have allowed your leader to raise the matter. This is not proper.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: We have to start the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address. Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not fair.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 2nd March, 2016 at 11.00 a.m.

14.49 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Wednesday, March 2, 2016/Phalguna 12, 1937 (Saka).*
